फर्द अहकाम

रामराय शर्मा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 191 / 2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.03.2025	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व. श्री काना के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 56 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, जिसका नया खसरा नम्बर 102 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का श्योपूर, भू–अभिलेख क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा आधा 1/4 है, शेष भूमि 1/2 हिस्सा अन्य प्रर्फोमा पक्षकार संख्या 3 ता 7 के कब्जे व काश्त की है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व प्रर्फोमा पक्षकारगण काबिज काश्त होकर निरंतर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व. श्री काना की सम्पत्ति है, जिसमें विधिअनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा बराबर–बराबर है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता काना की मृत्यु के उपरांत विरासत में नामान्तरण उनके पुत्रान् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 रामराय के नाम खोला जाकर दिनांक 15.04.1981 को खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु प्रविष्टी की गयी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अवधि बन्दोबस्त 1980 से 2009 में राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियो की त्रूटिवश प्रार्थी का नाम रामराय के स्थान पर राम ही अंकित किया गया है, जो राजस्व कर्मचारियो की गलती व त्रूटिवश अंकित हुआ है, जिसको दुरूस्त किया जाकर रामराय अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से राजस्व कर्मचारियो द्वारा सम्पूर्ण ही हटा दिया, जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से इन्द्राज प्रार्थी के नाम नही कर प्रार्थी का भी हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया, जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से किया गया इन्द्राज है, जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम रामराय राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के साथ संयुक्त हिस्सा 1/2 अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है या प्रार्थी का उक्त खसरा संख्या 102 की भूमि 0.31 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/4 हिस्से का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें। पुराने खसरा नम्बर 56 जिसका नवीन खसरा नम्बर 102 रकबा 0.31 है0 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हटाया कर बिना अधिकार के व कानून विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया जो भू–अभिलेख अधिकारियों की गलती व त्रुटिवश कानून विपरित जाकर इन्द्राज किया है जिसको प्रार्थी दुरस्त करवाने के अधिकारी है। .....लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

07.03.2025

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमी पुराना खसरा नम्बर 56 जिसका नवीन खसरा नम्बर 102 रकबा 0.31 हैक्टेयर, की कृषि भूमी में अप्रार्थी संख्या 2 के राजस्व खाते से कम कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावें या 1/2 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 2 के साथ प्रार्थी रामराय का नाम संयुक्त रूप से आंकलन किया, जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व सेटलमेन्ट के कर्मचारियो ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्से के आंकलन पर दर्ज नाम को विलूप्त कर दिया, जो बिना अधिकार के व कानून विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया जो भू– अभिलेख अधिकारियों की गलती व त्रुटिवश कानून विपरित जाकर इन्द्राज किया है जो दुरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से में प्रार्थी का नाम जोडा जावें या 1/4 हिस्से का इन्द्राज कर अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में से कम किया जाकर दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि वाके ग्राम सुखपुरा, पटवार हल्का श्योपुर, भू अभिलेख नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 56 रकबा 01 बिघा 05 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 102 रकबा 0.31 है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा आधा 1/4 है, शेष भूमि 1/2 हिस्सा अन्य प्रर्फोमा पक्षकार संख्या 3 ता 7 के कब्जे व काश्त की है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व प्रर्फोमा पक्षकारगण काबिज काश्त होकर निरंतर उपयोग उपभोग कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियो की त्रूटिवश प्रार्थी का नाम रामराय के स्थान पर राम ही अंकित किया गया है, जो राजस्व कर्मचारियो की गलती व त्रूटिवश अंकित हुआ है, व प्रार्थी का हिस्सा 1/4 भी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम कर दिया गया जिसे दूरूस्त कर प्रार्थी का हिस्सा 1/4 प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तूत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम सुखपुरा, पटवार हल्का श्योपुर, भू अभिलेख नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 56 रकबा 01 बिघा 05 बिस्वा जिसका नया खसरा नम्बर 102 रकबा 0.31 है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 1/2 है, जिसमें प्रार्थी रामराय का हिस्सा 1/4 है व अप्रार्थी लादूराम का हिस्सा 1/4 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)